

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्र. 1491

/एफ—1—36 / 31 / एस—2 / 2025,

अटल नगर, दिनांक 28 / 03 / 2025

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कचार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- कबीरधाम जिले के विकासखंड—बोड़ला की बावली जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य, पुराने संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य, कोलाबा फिक्सिंग कार्य 02 नग पुलिया निर्माण कार्य एवं 2.50 कि.मी. नहर सी.सी. लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ :- प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.—2165 / बो.प्र. / AA/TS / मगोक / 2024 / 8719, दि. 07.10.2024.

—00—

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक—367 / सी—28269 / 11 / वित्त / नियम / चार, रायपुर दिनांक 11.11.2011 द्वारा जारी वित्त निर्देश 50 / 2011 में निहित वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग—2 के अनुक्रमांक—88 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा कबीरधाम जिले के विकासखंड—बोड़ला की बावली जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य, पुराने संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य, कोलाबा फिक्सिंग कार्य 02 नग पुलिया निर्माण कार्य एवं 2.50 कि.मी. नहर सी.सी. लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 44.49 लाख (रुपये चौवालीस लाख उनचास हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरान्त योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (41 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 2 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 43 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—45, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, लेखाशीर्ष—4702—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय {101}, सतही जल, 0101—राज्य आयोजना (सामान्य), (3803) लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं, #97 - निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
6. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
7. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गोरे लाल भूआर्य)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग


...2...

पृ.क्र. 1492 / एफ-1-36 / 31 / एस-2 / 2025,

अटल नगर, दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल, दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कवर्धा।
15. आदेश फोल्डर।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग